न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज0)

मिसल संख्या/नयाबत /37/20 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

सरकार

बनाम

श्री महावीरसिंह पिता बीरबलराम जाति जाट निवासी बबाई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू।

निर्णय दिनांक:– 18 दिसम्बर 2020

पत्रावली पेश हुई। आवाज पर कोई हाजिर नहीं। आगे पत्रावली का अवलोकन किया तो जाहीर हुआ है कि पटवारी हल्का बबाई के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई है कि ग्राम बबाई स्थित राजकीय भूमि ख0न0 119 के रकबा 6.72 है0 में से रकबा 0.056 है0 किस्म गैर मुमकिन में पक्की दिवार व तारबन्दी लगाकर श्री महावीरसिंह पिता बीरबलराम जाति जाट निवासी बबाई के द्वारा अतिक्रमण कर लिया है।

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमी के नाम सबूत एवं सुनवाई हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। जारी नोटिस के जवाब मे गैर सायल ने जाहीर किया है कि उक्त भूमि पर उनका कब्जा पूर्वजों के समय से चला आ रहा है। तथा उक्त भूमि पर पुराना कब्जा होने की बाबत कोई सबूत होना नही बताया है। आज गैरसायल हाजिर भी नही है। कोई सबूत आदि भी प्राप्त नही हुआ है। इस प्रकार गैर सायल की अदम हाजिरी में एकतरफा कार्यवाही के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है।

अतः गैर सायल की अदम हाजिरी में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर, मुताबिक रिपोर्ट पटवारी प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखल किया जाता है। तथा सरह लगान 1 रूपया का 50 गुणा= 50 / रूपये तावान कायम एवं वसूल का आदेश दिया जाता है। टी0आर0ए0 एवं पटवारी हल्का को वसूली हेतु मांग कायमी करवाई जावे। भू अभिलेख निरीक्षक तथा पटवारी हल्का के नाम भौतिक मौका बेदखली हेतु आदेश जारी हो। पत्रावली फेसल सुमार होकर नम्बर से कम हो, तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(कृष्ण सिंह)
तहसीलदार खेतड़ी
तहसीलदार खेतड़ी
जिला झुन्झुनू (राज0)

रा. ले. सं. 4 वर्ष 2021
पृष्ठ नं. 53 पर राशि 50/-
कायम की गई।
तहसील राजस्व लेखाकार
24/12/20